(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(8)/LA-2009/lc-law/76-85 Dated the 09th March, 2009

NOTIFICATION

F.14(8)/LA-2009/ -The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt.Governor of Delhi on the 4th March, 2009 and is hereby, published for general information:-

"The Delhi Appropriation (No.1) Act, 2009
(Delhi Act 3 of 2009)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 25th February, 2009)

[4th March, 2009]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2008-2009.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows: -

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act, 2009.

issue of Rs. 1411,95,28,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2008-2009.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees one thousand four hundred eleven crore ninty five lakh and twenty eight thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2008-2009 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

DVS

THE SCHEDULE

(See section 2 and 3)

(Rs. in thousands)

DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES		SUMS NOT EXCEEDING Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
2	General Administration	Revenue	218808	39110	257918
3	Administration of Justice	Revenue	260100	47500	307600
4	Finance	Revenue	324060	0	324060
5	Home	Revenue	283700	0	283700
6	Education	Revenue	5378909	0	5378909
		Capital	200	0	200
7	Medical and Public Health	Revenue	3135499	0	3135499
		Capital	0	0	0
8	Social Welfare	Revenue	1808140	0	1808140
		Capital	700	0	700
9	Industries	Revenue	1400822	0	1400822
		Capital	100	0	100
10	Development	Revenue	846980	1000	847980
		Capital	500	0	500
11	Urban Development and Public Works	Revenue	1200	0	1200
		Capital	2000	0	2000
	Public Debt.	Revenue	0	370000	370000
		Capital	0	200	200
	Total		13661718	457810	14119528 ”

CVS

SRao

(Savita Rao)

Joint Secretary(Law, Justice & L.A.)

दिल्ली राजपत्र के भाग — 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8वां तल, सी—विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली

संख्या फा0 14/(8)/एलए 2009/एलए सीएलएन/7685 दिनांक 09 मार्च, 2009

अधिसूचना

संख्या फा0 14 (8)/एल.ए. 2009/ — उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 04 मार्च, 2009 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

''दिल्ली विनियोग (संख्या 01) अधिनियम, 2009
(2009 का दिल्ली अधिनियम संख्या 03)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा 25 फरवरी, 2009 को यथपारित)

(04 मार्च, 2009)

वर्ष 2008—2009 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त शीर्षक। (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2009 है।

1411,95,28,000/— रुपयों का वर्ष 2008—2009 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त। (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए एक हजार चार सौ ग्यारह करोड़ पिच्चानवें लाख अठठाइस हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2008—2009 की अवधि के दौरान भुगतान के रुप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन। (3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धाराएं 2 व 3 देखे)

(रुपये हजारों में)

सेवायें एवं उददेश्य		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड़
2		3	4	5
सामान्य प्रशासन	राजस्व	218808	39110	257918
न्याय प्रशासन	राजस्व	260100	47500	307600
वित्त	राजस्व	324060	0	324060
गृह	राजस्व	283700	0	283700
शिक्षा	राजस्व	5378909	0	5378909
	पूंजी	200	0	200
चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ्य	राजस्व	3135499	0	3135499
	पूंजी	0	0	0
समाज कल्याण	राजस्व	1808140	0	1808140
	पूंजी	700	0	700
उद्योग	राजस्व	1400822	0	1400822
	पूंजी	100	0	100
विकास	राजस्व	846980	1000	847980
	पूंजी	500	0	500
शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	1200	0	1200
	पूंजी	2000	0	2000
सार्वजनिक ऋण	राजस्व	0	370000	370000
	पूंजी	0	200	200
जोड़		13661718	457810	14119528 "

सविता राव

(सविता राव)
संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)